भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 911

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

गुड़गांव नहर विस्तार योजना

911. श्रीमती रंजीता कोली:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुड़गांव नहर विस्तार योजना चरण-II के तहत डींग, कुम्हेर सहित भरतपुर जिले के 207 गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की योजना हरियाणा सरकार की अस्वीकृति के कारण पिछले सात वर्षों से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना पर विचार करने के बाद इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क), (ख) और (ग) हरियाणा में मौजूदा नहर प्रणाली की रिमॉड्लिंग के माध्यम से ओखला हैडवर्क से यमुना के जल के पूर्ण उपयोग के लिए राजस्थान के परियोजना प्रस्ताव पर जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति ने दिनांक 07.02.2003 को हुई अपनी 80वीं बैठक में कुछ टिप्पणियों के साथ विचार किया था, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा सरकार की उनके सीमा क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत और निर्माण कार्य को हरियाणा और राजस्थान में समानांतर रूप से शुरू करने के विषय में सहमति शामिल थी। तदनुसार राजस्थान सरकार ने हरियाणा को 2003 में एक समझौता ज्ञापन भेजा था लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद हरियाणा ने सहमति नहीं दी है। वर्ष 2012 में गुडगांव मुख्य नहर के विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की गई थी। उक्त डीपीआर को सलाहकार समिति की दिनांक 07.02.2003 को हुई बैठक की शेष बकाया टिप्पणियों का अनुपालन न करने के कारण सीडब्ल्यूसी द्वारा वापस लौटा दी गई मान लिया गया था। ओखला में राजस्थान को आवंटित उसके हिस्से के यमुना जल की कम आपूर्ति के मसले पर मंत्रालय में होने वाली विभिन्न बैठकों, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठकों और ऊपरी यमुना नदी समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती रही है।

*****